



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

11 ज्येष्ठ, 1948 (श०)

संख्या - 282 राँची, सोमवार,

1 जून, 2026 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

1 जून, 2026

संख्या:- 08/उ०न्या०स्था०-01/2024 का० 3555--

विषय:- झारखण्ड उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीश को प्रदान की जा रही अनुसेवक भत्ता एवं अनुसचिवीय सहायता की राशि में अभिवृद्धि तथा अन्य सुविधाओं की स्वीकृति के संबंध में।

कार्मिक विभागीय संकल्प संख्या-6580 दिनांक-07.10.2024 के द्वारा झारखण्ड उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीशों को 19000.00 रु० प्रतिमाह अनुसेवक भत्ता तथा 8000.00 रु० प्रतिमाह अनुसचिवीय सहायता भत्ता की सुविधा सहित निःशुल्क आवासीय दूरभाष की सुविधा भी प्रदान की गई है, जिसमें दूरभाष प्राधिकार द्वारा अनुमान्य प्रतिमाह निःशुल्क कॉल संख्या के अलावे 1500 रुपये तक निःशुल्क कॉल अनुमान्य किया गया है। प्रतिमाह अनुमान्य 1500 रुपये प्रावधानित सीमा के अंदर निःशुल्क कॉल की सुविधा के साथ FTTH (Fiber to the Home) तथा इन्टरनेट/कॉल सेवा के अन्य माध्यम के दावे को भी अनुमान्य किया गया है।

2. उपर्युक्त प्रदत्त सुविधाएँ झारखण्ड उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीश की मृत्यु के उपरान्त उनकी जीवित पत्नी/पति (जो लागू हो) को भी अनुमान्य किया गया है।

3 Contempt Petition(c) No. 425-426/2015 न्यायमूर्ति वीएस० दवे, प्रेसिडेंट, द एसोसिएशन ऑफ रिटायर्ड जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एण्ड हाई कोर्ट बनाम कुसुमजीत सिद्धू एवं अन्य मामले की सुनवाई करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक 18.02.2025 को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीशों को उपलब्ध करायी जा रही घरेलू सहायता भत्ता एवं दूरभाष प्रतिपूर्ति के संबंध में आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदत्त सुविधा को सभी राज्यों में लागू करने का आदेश दिया गया है।

4. अतः Contempt Petition(c) No. 425-426/2015 न्यायमूर्ति वीएस० दवे, प्रेसिडेंट, द एसोसिएशन ऑफ रिटायर्ड जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एण्ड हाई कोर्ट बनाम कुसुमजीत सिद्धू एवं अन्य मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में झारखण्ड उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीश या उनके पति/पत्नी, जैसा भी मामला हो, को निम्नलिखित भत्तों की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्रम संख्या	भत्ते	सेवानिवृत्त माननीय मुख्य न्यायाधीश	सेवानिवृत्त माननीय न्यायाधीश
1	घरेलू नौकर/चालक भत्ता	50,000/- रु० प्रतिमाह	45,000/- रु० प्रतिमाह
2	मोबाईल/लैंडलाइन, इंटरनेट सेवा, अनुसचिवीय सेवा एवं सुरक्षा सेवा भत्ता	15,000/- रु० प्रतिमाह	15,000/- रु० प्रतिमाह
	कुल राशि	65,000/- रु० प्रतिमाह	60,000/- रु० प्रतिमाह

5. झारखण्ड उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश एवं सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उनके पति/पत्नी, जैसा भी मामला हो, निम्नलिखित शर्तों के अधीन झारखण्ड उच्च न्यायालय के व्यय पर घरेलू नौकर, चालक, अनुसचिवीय सहायता, सुरक्षा और दूरभाष सुविधा प्राप्त करने के हकदार होंगे :-

(I) घरेलू नौकर, चालक, अनुसचिवीय सहायता, सुरक्षा एवं दूरभाष सुविधा वैसी स्थिति में ही प्रदान की जाएगी, जब वो किसी अन्य उच्च न्यायालय से ऐसी या समान सुविधा प्राप्त नहीं कर रहे हों।

(II) घरेलू सहायक, चालक, अनुसचिवीय सहायता, सुरक्षा एवं दूरभाष की सुविधा झारखण्ड उच्च न्यायालय के उन्हीं सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश/न्यायाधीश को अनुमान्य होंगे, जो सेवानिवृत्ति की तिथि को झारखण्ड उच्च न्यायालय में कार्यरत रहे हों और सेवानिवृत्ति के उपरान्त किसी न्यायालय/न्यायाधिकरण/आयोग अथवा किसी अन्य पद पर कार्यरत न हों, सिवाय इसके कि ऐसी नियुक्ति/कार्यभार में घरेलू सहायक, चालक एवं अनुसचिवीय सेवा तथा अन्य लाभ उपलब्ध नहीं हो।

(III) झारखण्ड उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीश या उनके पति/पत्नी, जैसा भी मामला हो, अपने विवेक से घरेलू नौकर/चालक का चयन कर सकते हैं।

6. स्थायी कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति:- सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश/न्यायाधीश या उनके पति/पत्नी, जैसा भी मामला हो, झारखण्ड उच्च न्यायालय के दो चतुर्थ वर्गीय कर्मी अथवा एक चतुर्थ वर्गीय कर्मी एवं एक चालक की सेवाओं हेतु अनुरोध कर सकते हैं (या)

यदि झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में कार्यरत कोई चतुर्थ वर्गीय कर्मि/चालक महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची से लिखित रूप से सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश/न्यायाधीश या उनके पति/पत्नी, जैसा भी मामला हो, को अपनी सेवा प्रदान करने का अनुरोध करता है और ऐसे कर्मचारी/कर्मचारियों की सेवाएं सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश/न्यायाधीश या उनके पति/पत्नी, जैसा भी मामला हो, को स्वीकार्य हो तो उन्हें उनके साथ तब तक काम करने के लिए प्रतिनियुक्त किया जा सकता है, जब तक कि कर्मचारी सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त नहीं कर लेते हैं या जब तक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश/न्यायाधीश या उनके पति/पत्नी, जैसा भी मामला हो, इस सुविधा के हकदार हों।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा दो कर्मचारियों की सेवा उपलब्ध करायी जाती है तो सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश/न्यायाधीश या उनके पति/पत्नी, जैसा भी मामला हो, को कंडिका 04 की तालिका के क्रमांक 01 में अंकित सुविधा अनुमान्य नहीं होगी। यदि झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा केवल एक कर्मचारी की सेवा उपलब्ध करायी जाती है तो वैसी परिस्थिति में सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश/न्यायाधीश या उनके पति/पत्नी, जैसा भी मामला हो, कंडिका 04 की तालिका के क्रमांक 01 में अंकित सुविधा के 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति के हकदार होंगे।

झारखण्ड उच्च न्यायालय में कार्यरत चतुर्थ वर्गीय कर्मियों/चालकों की प्रतिनियुक्ति माननीय मुख्य न्यायाधीश, झारखण्ड, राँची के विवेक एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मियों/चालकों की उपलब्धता के अधीन होगी।

7. उपर्युक्त कंडिका-4 में अंकित राशि में प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

8. कंडिका 04 में अंकित राशि की प्रतिपूर्ति सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश/न्यायाधीश द्वारा विपत्र/अभिश्चर प्रस्तुत किये जाने पर वास्तविक व्यय के रूप में उक्त अधिकतम सीमा तक अनुमान्य होगी।

9. यह संकल्प निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।

10. झारखण्ड उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीश को प्रदत्त भत्तों/सुविधाओं के संबंध में पूर्व से निर्गत संकल्प/आदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

11. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति विभागीय संलेख ज्ञापांक-2439, दिनांक 27.04.2026 के क्रम में दिनांक 27.05.2026 की बैठक के मद संख्या-20 के रूप में दी गयी है।

(प्रवीण कुमार टोप्पो)

सरकार के सचिव
